न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र बाजदायरी संख्या 73/2020 (एफपीएस अपील सं0 71/2017)

1. सुमेरसिंह मीना पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति मीना निवासी ग्राम ठीकरिया ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

1.सरकार जरिये जिला रसद अधिकरी दौसा जिला दौसा (राजस्थान)

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश निर्णय दिनांक 24.4..2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी, दौसा बाबत निरस्त करने प्राधिकार पत्र।

उपस्थित: 1.श्री सावंल राम मीना, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार

निर्णय दिनांक: 18.02.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 24.7.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस में दलील है कि अपीलांट ग्राम पंचायत ठीकरिया का 1/3 का डीलर है। अपीलांट पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने गलत आरोप लगाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 24.7.2017 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.7.2017 विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट पर गलत आरोप लगाकर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी द्वारा लगाये आरोपों का उत्तर भी जबाव मे प्रस्तुत कर दिया था। जिसमे विस्तारपूर्वक लगाये गये आरोपों के बारे मे विवरण अंकित कर दिया था। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जबाव का भली प्रकार अवलोकन नहीं कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। अपीलांट की ओर से विभागीय निर्देशों व आदेशों का उल्लंघन नही किया है। जिला रसद अधिकारी का यह आरोप कि भौतिक सत्यापन करने पर 97.92 क्वि0 गेहूँ कम पाया गया जो गलत है। जिला रसद अधिकारी के रोस्टर मे भी 66 क्वि0 गेहूँ कम पाया गया है। जिला रसद अधिकारी ने दुर्भावनापूर्वक यह आरोप लगाया है। साथ ही 791 लीटर केरोसीन का आरोप भी गलत लगाया गया है। स्टॉक मे केरोसीन की मात्रा शून्य है। अपीलांट द्वारा पूरा केरोसीन का वितरण कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा हर माह की वितरण कॉपी भी पेश कर रहा है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नही की गई है। जिला रसद अधिकारी ने बेजा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट के विरूद्ध पुलिस थाना मेहंदीपुर बालाजी मे प्राथमिकी दर्ज कराई है वह भी असत्य एवं दुर्भावनापूर्वक कराई गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का निर्णय दिनांक 24.04.2017 निरस्त कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल करने का आदेश फरमावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत ठीकरिया 1/3 तहसील सिकराय के उचित मूल्य दुकानदार श्री सुमेरसिंह मीना की जांच प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा दिनांक 17.12.2016 को मौके पर जाकर की गई तथा 30.12.2016 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा में प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 04.1.17 को डीलर के प्राधिकार

पत्र को निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए 90 दिन के लिए निलम्बित किया गया एवं गम्भीर अनियमितताओं के कारण कार्यालय के पत्रांक 967 दिनांक 05.04.2017 द्वारा दोषी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रवर्तन निरीक्षक को निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना मेहंदीपुर बालाजी में एफआईआर नम्बर 64/20.04.2017 दर्ज करवायी गई। डीलर द्वारा की गई अनियमितताओं बाबत दिनांक 04.01.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच में निम्न अनियमितताऐं पायी गई:—

1. प्राधिकार पत्र मांगने पर प्रस्तुत नहीं कर राजकार्य मे सहयोग नही किया गया।
2. उपभोक्ताओं से जानकारी लेने पर पॉश मशीन मे अंगूठा निशानी मैच नही करती है उनको साधारण कागज पर रिकार्ड संधारण कर गेहूँ, केरोसीन व चीना का वितरण किया जा रहा है जो विभागीय निर्देशों का उल्लंघन है।
3. ई–एनएफएसए सूची की जानकारी नहीं होना व एनएफएसए मैन्युअल लिस्ट के आधार पर सामग्री का वितरण कर पात्र उपभोक्ताओं को गेहूँ नही देना पाया गया।
4. दुकान के बाहर ई–एनएफएसए सूची चस्पा नहीं की गई व अन्य वांछित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया।
5. मासिक रिर्टन की प्रति तहसील कार्यालय मे प्रस्तुत नही की गई।
6. भौतिक सत्यापन करने पर 97.92 क्वि0 गेहूँ व 791 लीटर केरोसीन तथा 80 कि0ग्रा0 चीनी स्टॉक मे कम पाई गई।

डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,6,7,8,10,11,17ग,18 व खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण सामग्री बिना पॉश मशीन के बायोमैट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। राशन डीलर द्वारा सादा कागजों पर रिकार्ड संधारण कर सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जो अनियमितता की श्रेणी मे आता है। इस प्रकार डीलर द्वारा 97.92 क्वि0 गेहूँ व 791 लीटर केरोसीन तथा 80 कि0ग्रा0 चीनी का दुरूपयोग करने के, पॉश मशीन प्रिन्टेड पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं दिये जाने एवं विभागीय निर्देश/नियमानुसार राशन सामग्री का वितरण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सन्तोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर डीलर द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07..2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा